राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.17(ई)ग्राविपं / प्रशा.2 / विका.यो. / पंचा.शिविर / 2016 / 4046 जयपुर, दिनांक: 5 अक्टूबर, 2016

—:: कार्यालय आदेश ::—

वर्ष 2016—17 के बजट भाषण में माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पंचायत शिविरों का आयोजन कर ग्रामीण जनता के पंचायत स्तरीय कार्यो के निस्तारण करवाने की घोषणा की गई थी। इस विषय में इस विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2775 दिनांक 30.06.2016 से विस्तृत आदेश भी जारी किये जा चुके है। यह कार्यक्रम अब **"पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर"** के नाम से जाना जायेगा।

पंचायती राज विभाग जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम का नोडल विभाग रहेगा। समस्त कार्यक्रम जिला कलक्टर के निर्देशन एवं नेतृत्व में संधारित किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद शिविरों का दिनांकवार विस्तृत कार्यक्रम जिला कलक्टर के निर्देशों में तैयार करवायेंगे तथा जिले में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रहेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों का प्रथम चरण का कार्यक्रम एकसाथ घोषित कर दिया जावें। जब प्रथम चरण का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया जायेगा तो सतत् प्रक्रिया के रूप में तत्काल द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा। **जिला कलक्टर समस्त विभागों के जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक आवश्यक रूप से दिनांक 07.10.2016 को आयोजित करेंगे** व उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा बाबत विस्तृत चर्चा करते हुए सभी विभागों में पंचायत स्तरीय टीमों का गठन सुनिश्चित करेंगे। पंचायत समिति स्तरीय शिविरों में उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार / विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक विभाग यह निर्धारित करेगा कि शिविरों में उनके किस स्तर के एवं कौन—कौन से अधिकारी भाग लेंगे।

प्रत्येक विभाग अपने विभाग की गतिविधियों संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर उसकी प्रति समस्त जिला कलक्टरों एवं पंचायती राज विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करवायेंगे। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उसके समस्त जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को किसी न किसी शिविर में उपलब्ध रहे तथा विभागीय कार्यो की समीक्षा करें व यथा संभव शिविरों में प्राप्त होने वाले जिला स्तरीय मुद्दों का निस्तारण करें। प्रत्येक विभाग, विभाग मुख्यालय एवं जिला मुख्यालयों पर एक—एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे व उनकी सूचना मय मोबाईल नम्बर सभी जिला कलक्टर्स एवं पंचायती राज विभाग को देंगे। विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से यह भी अपेक्षित है कि वे पंचायत समिति स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे व उनकी सूची सम्बन्धित जिला कलेक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उपलब्ध करवायेंगे।

सूचना सम्प्रेषण कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण भाग है। भाग लेने वाले समस्त विभाग सूचना सम्प्रेषण बाबत अपने—अपने प्रपत्र तैयार करेंगे तथा राज्य स्तर पर उक्त सूचना सम्प्रेषण / संधारण का कार्य संयुक्त निदेशक(मॉनिटरिंग), पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा। विभागों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्यक्रम का विवरण एवं सूचना सम्प्रेषण के प्रपत्र तैयार कर अविलम्ब पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करावें। सूचना मासिक आधार पर एकत्रित की जायेगी।

योजना का स्वरूप – प्रत्येक पंचायत समिति के 2 समीपस्थ ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से आयोजित किया जायेगा। शुक्रवार को अवकाश होने की स्थिति में शिविर उसके आगामी दिवस अर्थात् शनिवार को आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 09:30 बजे प्रारम्भ होकर कार्य समाप्ति तक चलेगा। दिनांकवार कार्यक्रम सम्बन्धित जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा तथा सभी विभागों के ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित अधिकारी/कार्मिकगण दो भागों के विभक्त होकर दोनों पंचायतों के कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण अपने क्षेत्राधिकार में नियमित रूप से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

शिविर प्रारम्भ होने की तिथि – यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर, 2016, शुक्रवार से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम चरण में राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किये जायेंगे। विकास अधिकारी अपनी पंचायत समिति का कार्यक्रम तैयार कर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवा देंगे तथा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायती राज विभाग एवं भाग लेने वाले संबंधित विभागों को ज़िले का समस्त कार्यक्रम अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

पंचायत शिविरों में उपस्थित रहने वाले अधिकारी – शिविरों में भाग लेने वाले सभी विभागों के ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी/कार्मिक दो दलों में विभक्त होकर पंचायत मुख्यालयों पर उपस्थित रहेंगे। इन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी किसी न किसी पंचायत में अनिवार्य रूप से शिविर में भाग लेंगे।

शिविरों की प्रशासनिक व्यवस्थाऐं – पंचायत शिविरों का आयोजन यथा संभव अटल सेवा केन्द्रों पर किया जावें। यह सतत् कार्यक्रम है अतः टेन्ट आदि पर न्यूनतम व्यय किया जावें। प्रशासनिक व्यवस्थाऐं संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। कार्यक्रमों की जानकारी आम जन तक पहुँचाना भी सुनिश्चित किया जावें, ताकि अधिकाधिक लोग भाग लेकर शिविरों का लाभ उठा सकें। आनेवाले आम जन के लिए छाया एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जावें।

शिविरों की पूर्व तैयारी – समस्त विभागीय अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे इन शिविरों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करेंगे। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में मौके पर ही स्वीकृतियाँ जारी की जानी है, अतः इस हेतु समस्त विभाग सभी तरह के आवश्यक दस्तावेज/ प्रपत्र इत्यादि साथ लेकर आऐंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग की शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व तैयारी की समीक्षा कर ली जावे। जिला कलक्टरों से अपेक्षित है कि वे जिला स्तर पर समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय तैयारियों की समीक्षा सुनिश्चित कर लेंवे तथा समस्त विभागों में समन्वय कायम करें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शिविरों में किये जाने वाले कार्यो एवं दायित्वों बाबत विस्तृत विवरण इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 2775 दिनांक 30.06.2016 में आ चुका है। अतः तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी। उच्च स्तरीय निर्णय अनुसार अब इन शिविरों में निम्नलिखित विभागों द्वारा भी भाग लिया जायेगा तथा उनके द्वारा उनके विभागों में संचालित निम्नलिखित योजनाओं बाबत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी –

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग –

- बी.एस.बी.वाई (BSBY)
- जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSY)
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ;

- मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना
- किशोरियों को निःशुल्क सेनीटरी नैपकिन का वितरण
- मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच

2. महिला एवं बाल विकास विभाग –

- राज श्री योजना
- पूरक पोषाहार (Supplementary Nutrition)
- आंगनबाडी केन्द्रों पर खिलौना बैंक एवं पुस्तक बैंक

3. राजस्व विभाग –

- राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण
- डिक्री निष्पादन
- रास्ता संबंधी विवाद
- पत्थर गढ़ी
- नामान्तरण करण
- सीमाज्ञान
- राजस्व अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराना

4. वन विभाग –

- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्यूनतम 10 पौधों का पौधारोपण
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजनान्तर्गत किये गये पौधारोपण का भौतिक सत्यापन व संरक्षा

5. आयोजना विभाग –

- भामाशाह योजना – डी.बी.टी. (छात्रवृत्ति / पेंशन / राशन / मनरेगा)
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
- अटल पेंशन योजना

6. श्रम विभाग –

- भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना –
  - निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
  - निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना
  - निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
  - निर्माण श्रमिक जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना
  - शुभ शक्ति योजना
  - प्रसूति सहायता योजना

- ➢ निर्माण श्रमिक टूल किट सहायता योजना
- ➢ दुर्घटना में मृत्यु/चोट लगने पर लाभ देने की योजना
- ➢ सिलिकोसिस प्रभावितों के बाबत योजना

- आई.टी.आई. की गतिविधियाँ एवं आर.एस.एल.डी.सी.के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा

7. कृषि विभाग –

- कृषक साथी योजना
- किसान कलेवा योजना
- प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई कार्यक्रम

8. पशुपालन विभाग –

- मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना
- भामाशाह पशु बीमा योजना

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग –

- पेंशन योजनाओं में (वृद्ध, विधवा, निःशक्तजन) समयबद्ध भुगतान
- छात्रवृत्ति योजना – छात्रों के लिए 10वीं पूर्व एवं पश्चात् छात्रवृत्ति योजनाऐं
- पालनहार योजना
- अर्न्तजातीय विवाह योजना
- सम्बल ग्राम विकास योजना
- अनुप्रति योजना
- देवनारायण योजना

10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग –

- एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों का सत्यापन एवं वास्तविक लाभार्थियों को सूची में सम्मिलित करना
- पी.ओ.एस. मशीनों से खाद्यान्न वितरण
- अन्नपूर्णा भण्डार – उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

11. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी/विद्युत वितरण निगम लि0/सार्वजनिक निर्माण विभाग –

- विभागीय योजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा
- शिविर में विभाग से संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं का मौके पर निस्तारण
- हैण्डपम्प मरम्मत, ढीले तारों को कसना इत्यादि कार्य
- विभागीय उपलब्धियों का प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन

12. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग –

- योजना क्षेत्र में शिविरों में व्यक्तिगत योजनाओं में लाभान्वित करना एवं विभागीय कार्यो की समीक्षा

विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यो की सूची अन्तिम नहीं है। विभागाध्यक्ष अपने विवेक से और गतिविधियाँ भी शिविरों में जोड़ने के लिए स्वतंत्र है। सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शिविर में वे अपने विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी बोर्ड, पेम्फलेट इत्यादि के माध्यम से आमजन को देंगे। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग शिविर वाली पंचायत क्षेत्र में उसके विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 से आदिनांक आवंटित बजट, व्यय एवं निर्मित परिसम्पत्तियों व लाभार्थियों की सूची का विवरण शिविर में उपलब्ध करायेंगे एवं प्रदर्शित करेंगे। सभी विभागों से अपेक्षित है कि वह इस कार्यक्रम की जानकारी अधिकाधिक लोगों/जन प्रतिनिधियों को देंगे।

प्रत्येक जिले में शिविरों के विस्तृत कार्यक्रम एवं किये जाने वाले कार्यो का विवरण देते हुए एक जिला स्तरीय पुस्तिका का प्रकाशन करवाया जाना है। जिला कलक्टर इस बाबत समुचित कार्यवाही करना तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

इस कार्यक्रम में आमजन के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अधिकाधिक जन प्रतिनिधिगण द्वारा कार्यक्रमों में भाग लिया जावें। शिविरों के आयोजन के दौरान विधानसभा/संसद सत्र भी होंगे, अतः माननीय सांसद/विधायकगण से इन शिविरों बाबत चर्चा कर ली जावें। अत्यधिक आवश्यक होने की स्थिति में शिविर की दिनांक में संशोधन किया जा सकता है। निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

5/10/2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0 वि0 एवं पं0 रा0 विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान।

15. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
19. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
21. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद।
22. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
23. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
24. जिला कलक्टर, समस्त।
25. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
26. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
27. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
28. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव